



## प्रेस नोट कुर्की थाना खैरगढ़ दिनांक 24-08-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना खैरगढ़ पुलिस टीम द्वारा गैंगलीडर अभियुक्त रामप्रताप की कुल मूल्य 18 लाख 62 हजार 02 सौ अठारह रुपए (18,62,218.00/- रुपए) की अचल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....
- गैंगलीडर अभियुक्त रामप्रताप द्वारा अपने अन्य साथियों 1.बृजेश उर्फ लला, 2.राहुल उर्फ कौआ चोर के साथ मिलकर लगातार गम्भीर अपराध कारित कर अवैध चल / अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी है ।
- गैंगस्टर अभियुक्त रामप्रताप पर गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत...
- अभियुक्त रामप्रताप थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का गैंगस्टर अभियुक्त है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना खैरगढ़ पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/25 धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित गैंगलीडर अभियुक्त रामप्रताप पुत्र स्व0 अजयपाल निवासी नगला गुलाल थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद हाल पता नगला डहर डाहिनी की पुलिया के पास थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अचल सम्पत्ती (कृषि भूमि .081 हैक्टेयर अर्थात 809.66 वर्गमीटर खाता संख्या 241 गाटा संख्या 294 मौजा डडियामई शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद) जिसकी कुल अनुमानित कीमत 18,62,218.00 रुपए को आज दिनांक 24-08-2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

### नाम व पता गैंगलीडर व अन्य अभियुक्तगण:-

- 1.गैंगलीडर अभियुक्त रामप्रताप पुत्र स्व0 अजयपाल निवासी नगला गुलाल थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद हाल पता नगला डहर डाहिनी की पुलिया के पास थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. बृजेश उर्फ लला पुत्र पुत्र राकेश निवासी नगला गुलाल थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद ।
3. राहुल उर्फ कौआ चोर पुत्र तेज सिंह निवासी ज्योति मनोनी थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी ।

**आपराधिक इतिहास गैंगलीडर अभियुक्त रामप्रताप उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0 609/2018 धारा 395, 427 भादवि0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 120 बी, 177, 182, 193, 195, 200, 211, 420 भादवि0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 551/2023 धारा 380, 411 भादवि0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
4. मु0अ0सं0 257/2023 धारा 506 भादवि0 थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद ।
5. मु0अ0सं0 269/2023 धारा 120बी, 301, 302, 307 भादवि0 थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद ।
6. मु0अ0सं0 296/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद ।
7. मु0अ0सं0 150/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।

**गैंगस्टर अभियुक्त रामप्रताप की कुर्क की गयी अचल सम्पत्ती का विवरण:-**

क्र0सं0	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रु0 में)
1	अभियुक्त रामप्रताप की माँ बिरमा देवी	कृषि भूमि .081 हैक्टेयर अर्थात 809.66 वर्गमीटर खाता संख्या 241 गाटा संख्या 294 मौजा डडियामई शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद	18,62,218.00/- रुपए
<b>कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती का मूल्य रूपयों में:-----</b>			<b>18,62,218.00/- रुपए</b>